



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-07.05.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लालपुर पाण्डेयपुर में एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 5000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-114/2020 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रवि सोनकर पुत्र कैलाश सोनकर निवासी स्वामी विवेकानन्द कालोनी छोटा लालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लालपुर पाण्डेयपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-7.05.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-09 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रवि सोनकर उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (140 दिन) व 5000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।